उत्तराखण्ड शासन,
राजस्व विभाग,
संख्याः 199 /18(1)/2007
देहरादूनः दिनांकः 15 मई, 2007

विज्ञप्ति
प्रकीर्ण

चूँकि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 5 सन् 1954)(समय–समय पर यथा संशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 53(क) के अधीन ग्राम–बीफ एंव ग्राम–खरसाली, तहसील–बड़कोट, जनपद–उत्तरकाशी द्वारा स्वैच्छिक चकबन्दी योजना तैयार करने के लिये प्रस्ताव पारित किया गया एंव जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ने अपनी संस्तुति स्वैच्छिक चकबन्दी किये जाने के लिये अपने पत्र संख्या–258/सात–भूलेख–एम0बी0/2004 दिनांक 8 नवम्बर, 2006 को की है;

और चूँकि राज्य सरकार इस हेतु सहमत है, कि लोकहित में यह समीचीन है, कि जनपद–उत्तरकाशी, तहसील–बड़कोट (जमींदारी विनाश रहित क्षेत्र को छोड़कर) में स्वैच्छिक चकबन्दी योजना की प्रकिया कराई जाय;

अतएव, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2)(क) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि जनपद–उत्तरकाशी तहसील–बड़कोट में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तारीख से स्वैच्छिक चकबन्दी क्रियायें की जायेंगी।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रूड़की को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। इस विज्ञप्ति की 50–50 प्रतियाँ इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

........(2)

2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौढ़ी।
3- जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, उत्तरकाशी को उनके पत्र संख्या–258/सात–भूलेख–एम0बी0/2004 दिनांक 8 नवम्बर, 2006 के सन्दर्भ में।
4- निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।